

काशी हिन्दू विश्वविद्यालय

महत्त्वपूर्ण दिशा- निर्देश एवं तिथियाँ

सेन्ट्रल हिन्दू गर्ल्स स्कूल, कमच्छा, वाराणसी: बाल वाटिका-2 (L.K.G.)

सेन्ट्रल हिन्दू स्कूल, रा.गां.द.प., बरकछा, मिर्जापुर: बाल वाटिका-3 (नर्सरी)

श्री रणवीर संस्कृत विद्यालय, कमच्छा, वाराणसी: कक्षा-1

सेन्ट्रल हिन्दू गर्ल्स स्कूल व सेन्ट्रल हिन्दू बॉयज स्कूल, वाराणसी: कक्षा-6

सत्र 2026-27

महत्त्वपूर्ण तिथियाँ

1. प्रवेश परीक्षा पोर्टल पर ऑनलाईन फार्म के उपलब्ध होने की तिथि : 20 फरवरी 2026 (शुक्रवार)
ऑनलाईन आवेदन पत्र भरने की अंतिम तिथि : 20 मार्च 2026 (शुक्रवार)
ऑनलाईन आवेदन पत्र संशोधन करने की तिथि : 23 मार्च से 27 मार्च 2026
2. ई-लॉटरी एवं चयनित अभ्यर्थी / प्रतीक्षा सूची/अन्य सूचना : 12 अप्रैल 2026 (रविवार)
प्रकाशित करने की तिथि

प्रवेश की तिथि एवं समय:

बालवाटिका-2, बालवाटिका-3 एवं कक्षा-1

(क) बी.एच.यू. कर्मचारी एवं दिव्यांग वर्ग (अस्थि-बाधित): 28 अप्रैल 2026 मंगलवार (प्रातः 9 से 11 बजे तक)

(ख) सामान्य वर्ग, अनुसूचित जाति वर्ग, अनुसूचित जनजाति वर्ग, अन्य पिछड़ा वर्ग-नॉन क्रीमी लेयर एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS)

- प्रथम सूची (मुख्य सूची) : 30 अप्रैल 2026 गुरुवार (प्रातः 9 से 11 बजे तक)
- द्वितीय सूची (प्रतीक्षा सूची) : 04 मई 2026 सोमवार (प्रातः 9 से 11 बजे तक)
- * (रिक्त सीटों की स्थिति में)

(ग) कक्षा-6

- प्रथम सूची (मुख्य सूची) : 29 अप्रैल 2026 बुधवार (प्रातः 9 से प्रातः 11 बजे तक)
- द्वितीय सूची (प्रतीक्षा सूची) : 05 मई 2026 मंगलवार (प्रातः 9 से प्रातः 11 बजे तक)
* (रिक्त सीटों की स्थिति में)



काशी हिन्दू विश्वविद्यालय द्वारा संचालित विद्यालयों का विवरण

डॉ. एनी बेसेंट द्वारा सन् 1898 में स्थापित सेंट्रल हिन्दू कॉलेज की आधारशिला पर सेंट्रल हिन्दू ब्वायज़ स्कूल तथा सेंट्रल हिन्दू गर्ल्स स्कूल वाराणसी शहर के हृदय स्थल कमच्छा के विशाल भवनों में स्थापित हैं।

मिर्जापुर में काशी हिन्दू विश्वविद्यालय के राजीव गांधी दक्षिणी परिसर परिसर, बरकछा, में सेंट्रल हिन्दू स्कूल, सेंट्रल हिन्दू ब्वायज़ स्कूल, कमच्छा वाराणसी के द्वारा संचालित किया जाता है। इस विद्यालय में बाल वाटिका-3 (नर्सरी) से कक्षा-5 तक के बालकों एवं बालिकाओं के अध्ययन की व्यवस्था है। इस विद्यालय में नामांकन हेतु बालकों एवं बालिकाओं द्वारा आवेदन नर्सरी बाल (वाटिका-3) के स्तर पर आमंत्रित किए जाते हैं।

सेंट्रल हिन्दू गर्ल्स स्कूल का प्राथमिक अनुभाग कोलहुआ में स्थित महत्वपूर्ण भवन में चलता है, जहां बाल वाटिका-2 से कक्षा-5 तक की कक्षाएं नियमित रूप से चलती हैं।

श्री रणवीर संस्कृत विद्यालय की स्थापना सन् 1883 ई. में जम्मू कश्मीर के महाराजा श्री रणवीर सिंह द्वारा की गई थी। जम्मू कश्मीर के तत्कालीन राजा प्रताप सिंह के अनुरोध पर डॉ. एनी बेसेंट ने श्री रणवीर संस्कृत विद्यालय को सन् 1901 में सेंट्रल हिन्दू कोलेजिएट की प्रबंध समिति के अंतर्गत ले लिया। सन् 1911 ई. में सेंट्रल हिन्दू कॉलेज प्रबंध समिति की सभी चल-अचल संपत्तियों सहित श्री रणवीर संस्कृत विद्यालय भी हिन्दू विश्वविद्यालय सोसाइटी के अंतर्गत आ गया। अप्रैल 1918 के पश्चात से वर्तमान समय तक विद्यालय का संचालन स्कूल बोर्ड, काशी हिन्दू विश्वविद्यालय द्वारा किया जाता है। श्री रणवीर संस्कृत विद्यालय के प्राथमिक अनुभाग में कक्षा-1 से 5 तक की कक्षाएं एनसीईआरटी पाठ्यक्रम के अनुसार हिन्दी एवं अंग्रेजी माध्यम से संचालित की जाती हैं। जिसमें अध्ययन हेतु प्रवेश केवल कक्षा-1 में ही होता है।



महत्त्वपूर्ण निर्देश

I. आयु सीमा एवं वाछिंत अर्हताएँ

विद्यालय का नाम	कक्षा	31 मार्च 2026 को उम्र (जिन बच्चों की जन्म तिथि 1 अप्रैल है उन्हें भी लिया जाएगा)
सेन्ट्रल हिन्दू गर्ल्स स्कूल, कमच्छा, वाराणसी	बालवाटिका-2	4 से 5 वर्ष (अर्थात जन्म तिथि 31 मार्च 2021 से पहले और 31 मार्च 2022 के बाद की नहीं होनी चाहिए)
सेन्ट्रल हिन्दू स्कूल, रा.गां.द.प., बरकछा, मिर्जापुर	बालवाटिका-3	5 से 6 वर्ष (अर्थात जन्म तिथि 31 मार्च 2020 से पहले और 31 मार्च 2021 के बाद की नहीं होनी चाहिए)
श्री रणवीर संस्कृत विद्यालय, कमच्छा, वाराणसी	I	6 से 8 वर्ष (अर्थात जन्म तिथि 31 मार्च 2018 से पहले और 31 मार्च 2020 के बाद की नहीं होनी चाहिए)
सेन्ट्रल हिन्दू गर्ल्स स्कूल, कमच्छा वाराणसी एवं सेन्ट्रल हिन्दू बॉयज स्कूल, कमच्छा, वाराणसी	VI	10 से 12 वर्ष (अर्थात जन्म तिथि 31 मार्च 2014 से पहले और 31 मार्च 2016 के बाद की नहीं होनी चाहिए) और किसी स्कूल से कक्षा 5 की परीक्षा उत्तीर्ण की होनी चाहिए।



II. आरक्षण

विद्यालय के नाम	कक्षा	कुल सीटों की संख्या	आरक्षण कोटा
सेन्ट्रल हिन्दू गर्ल्स स्कूल, कमच्छा, वाराणसी	बालवाटिका-2	120	काशी हिन्दू विश्वविद्यालय के कर्मचारियों * के पुत्र/पुत्री के लिए : 100% काशी हिन्दू विश्वविद्यालय के कर्मचारियों के पुत्र/पुत्री के प्रवेश के बाद बची हुई सीटों पर वाह्य अभ्यर्थियों का प्रवेश निम्न आरक्षण नियम के अनुसार किया जायेगा : दिव्यांग वर्ग (OH): 3% (क्षैतिज) अनुसूचित जाति: 15% अनुसूचित जनजाति: 7.5% अन्य पिछड़ा वर्ग-नॉन क्रीमीलेयर: 27% आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS): 10%
सेन्ट्रल हिन्दू स्कूल, रा.गां.द.प. बरकछा, मिर्जापुर	बाल वाटिका-3	40	काशी हिन्दू विश्वविद्यालय के कर्मचारियों* के पुत्र/पुत्री के लिए : 50%
श्री रणवीर संस्कृत विद्यालय, कमच्छा, वाराणसी	I	40	काशी हिन्दू विश्वविद्यालय के कर्मचारियों के पुत्र/पुत्री के प्रवेश के बाद बची हुई सीटों पर वाह्य अभ्यर्थियों का प्रवेश निम्न आरक्षण नियम के अनुसार किया जायेगा : दिव्यांग वर्ग (OH): 3% (क्षैतिज)
सेन्ट्रल हिन्दू गर्ल्स स्कूल कमच्छा, वाराणसी	VI	45**	अनुसूचित जाति: 15% अनुसूचित जनजाति: 7.5% अन्य पिछड़ा वर्ग-नॉन क्रीमी लेयर: 27%
सेन्ट्रल हिन्दू ब्वॉयज स्कूल, कमच्छा, वाराणसी	VI	61**	आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS): 10%

नोट:

*काशी हिन्दू विश्वविद्यालय के स्थाई कर्मचारियों के पुत्र/पुत्री को प्रवेश में मिलने वाली सुविधा का विस्तार करते हुये यह सुविधा वर्तमान में संविदा पर नियुक्त कर्मचारियों के पुत्र/पुत्री को भी दी जा रही है। इसके अंतर्गत विश्वविद्यालय कर्मचारियों के लिए आरक्षित स्थानों पर स्थाई कर्मचारियों के बच्चों के प्रवेश के उपरान्त बची सीटों पर संविदा/दैनिक वेतनभोगी/आउटसोर्सिंग कर्मचारियों के पुत्र/पुत्री को प्रवेश दिया जायेगा। सम्बन्धित विभागाध्यक्ष द्वारा निर्गत संविदा कर्मचारी होने का प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत करना होगा। काशी हिन्दू विश्वविद्यालय में रिसर्च प्रोजेक्ट में कार्यरत कर्मचारियों के पुत्र/पुत्री को विश्वविद्यालय कर्मचारी कोटे में प्रवेश हेतु विचार नहीं किया जायेगा।

** न्यूनतम सीट उपलब्धता।



III. प्रवेश प्रक्रिया-

- विभिन्न श्रेणियों के लिए आरक्षण, सम्बंधित कक्षा में उपलब्ध कुल सीटों की संख्या के आधार पर निर्धारित किया जायेगा, जिसके लिए ई-लॉटरी आयोजित की जाएगी।

- प्रत्येक कक्षा के लिए अलग-अलग लॉटरी आयोजित की जाएगी (बाल वाटिका-2, बाल वाटिका-3, कक्षा-1, कक्षा-6 बालक एवं कक्षा-6 बालिका)।

-लॉटरी रैंक के अनुसार सीटें निम्नलिखित क्रम में भरी जाएँगी-

1. बी. एच. यू. कर्मचारी वर्ड को सर्वप्रथम प्रवेश दिया जायेगा | (कर्मचारी कोटे की बची हुई सीटों का स्थानांतरण, बाह्य अभ्यर्थियों को आरक्षण नियमों के अनुसार किया जाएगा) |

2. ओपन/अनारक्षित सीटों हेतु सभी वर्गों के अभ्यर्थी (एस.सी., एस.टी., ओ.बी.सी. एन.सी.एल. एवं ईडब्ल्यूएस) पात्र होंगे |

3. आरक्षित श्रेणी की सीटें, ओपन/अनारक्षित सीटों के प्रवेश की अंतिम कट ऑफ रैंक या लॉटरी रैंक के बाद भरी जाएँगी |

4. दिव्यांग श्रेणी/अस्थिबाधित में प्रवेश क्षैतिज आरक्षण के अनुसार दिया जायेगा |

नोट: एस.सी./एस.टी. सीटें केवल पंजीकृत आवेदकों की उपलब्धता के अनुसार सीटों के आपसी समायोजन (Interchanging) के बाद ही भरी जाएँगी | अर्थात, रिक्त एस.सी. सीटें एस.टी. आवेदकों द्वारा और रिक्त एस.टी. सीटें एस.सी. आवेदकों द्वारा भरी जा सकती है |

IV. ई-लॉटरी प्रक्रिया पूरी होने के बाद अभ्यर्थियों के आवेदन में किसी भी स्तर पर कोई त्रुटि पायी गई तो चयनित अभ्यर्थियों का प्रवेश निरस्त कर दिया जायेगा। साथ ही प्रवेश के समय समस्त वांछित प्रमाणपत्रों की मूल प्रति प्रस्तुत न करने की अवस्था में नामांकन नहीं किया जाएगा |

V. किसी भी स्थिति में अभ्यर्थी प्रवेश के समय अपनी श्रेणी नहीं बदल सकते हैं |

VI. चयनित अभ्यर्थियों द्वारा निर्धारित तिथि पर शुल्क न जमा करने पर प्रवेश निरस्त हो जायेगा तथा प्रतीक्षा सूची से प्रवेश ले लिया जायेगा।

VII. प्रतीक्षा सूची के अभ्यर्थी प्रवेश के लिए कोई दावा नहीं कर सकते हैं। यदि किन्हीं कारणों से कुछ सीट रिक्त रह जाती है, तभी ई-लॉटरी रैंक के क्रमवार उन्हें प्रवेश प्राप्त हो सकेगा।

VIII. उम्मीदवारों के चयन के लिए ई-लॉटरी निकालने की प्रक्रिया में निम्नलिखित पद्धति अपनायी जाएगी:

1. लॉटरी के लिए पात्र उम्मीदवारों की कक्षावार सूची उस एजेंसी से प्राप्त की जाएगी जो ऑनलाइन आवेदन जमा करने से संबंधित अपलोडिंग और अन्य गतिविधियों में सम्मिलित है।
2. आवेदन जमा करने की तारीख और समय के आरोही (बढ़ते) क्रम के अनुसार एजेंसी द्वारा प्रत्येक आवेदक को एक क्रम संख्या (1 से शुरू करके आवेदनों की कुल संख्या तक) आवंटित की जाएगी।
3. ई-लॉटरी की प्रक्रिया में केवल उपरोक्त क्रम संख्या वाली सूची का ही उपयोग किया जाएगा।
4. माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के डेटा एनालिसिस टैब में दिए गए रैंडम नंबर जनरेशन टूल के माध्यम से सूची में उल्लिखित प्रत्येक उम्मीदवार हेतु एक समान वितरण के आधार पर शून्य से एक के बीच एक यूनिक रैंडम नंबर जनरेट किया जाएगा।
5. किसी भी रैंडम (यादच्छिक) चयन में चयन प्रक्रिया को इस प्रकार रखना आवश्यक है कि भविष्य में होने वाले ऑडिट में हम उसी परिणाम को पुनः प्रस्तुत कर सकें। यह पुनरुत्पादन चयन प्रक्रिया की एक महत्वपूर्ण विशेषता है और इसलिए जब यादच्छिक संख्या तालिका का मैनुअल रूप से समान कार्य के लिए उपयोग किया जाता है, तो यादच्छिक प्रारंभ बिंदु (यादच्छिक संख्या तालिका की पृष्ठ संख्या और उस पृष्ठ पर चयन के लिए दिशा के साथ आरंभिक यादच्छिक बिंदु की पंक्ति संख्या और स्तंभ संख्या) का उल्लेख करना अनिवार्य है, ताकि जरूरत पड़ने पर कोई भी चयनित इकाइयों का सत्यापन किया जा सके।
6. एमएस-एक्सेल में यह कार्य रैंडम सीड फीचर द्वारा किया जाता है। इसलिए, प्रत्येक कक्षा की लॉटरी हेतु रैंडम नंबर जनरेट करने के लिए एक रैंडम सीड सेट किया जाएगा। इसे और पारदर्शी बनाने के लिए, लॉटरी के समय नंबर जनरेट करने हेतु उपलब्ध दर्शकों से सीड नंबर बोलने के लिए कहा जाएगा।

इस प्रक्रिया के तहत रैंडम नंबर वाली पर्याप्त संख्या में पर्चियां एक बड़े कटोरे में रखी जायेंगी और दर्शकों में से किसी एक व्यक्ति से अनुरोध किया जाएगा कि वह कटोरे में रखी पर्चियों को आपस में गड़मड़ करके एक पर्ची निकाले। पर्ची निकालने के बाद उसे पर्ची पर अंकित संख्या बताने के लिए कहा जाएगा ताकि इसे किसी विशेष लॉटरी प्रक्रिया के लिए सीड नंबर के तौर पर उपयोग किया जा सके।

7. जब चुनी हुई रैंडम सीड के अनुसार रैंडम नंबर जनरेट होता है, तो जनरेट किए गए नंबरों को प्राप्तांक (स्कोर) मानते हुए अवरोही क्रम में किया जाएगा। इस प्रकार, तैयार यह संक्षिप्त सूची योग्यता सूची मानी जाएगी। हालाँकि इस प्रक्रिया में प्राप्तकों का टाई (एक समान) होना अत्यंत दुर्लभ है। तथापि यदि ऐसा होता है तो पात्रता निर्धारित करने हेतु विश्वविद्यालय में प्रवेश संबंधित वर्तमान नियम पर विचार किया जाएगा।

8. प्रत्येक कार्यक्रम और श्रेणी के लिए दर्शकों द्वारा घोषित सीड नंबर को चयन प्रक्रिया की भावी जाँच (ऑडिट) के परोलेखित भी किया जाएगा।

IX. प्रवेश के समय जमा करने के लिए दस्तावेज़ -

1. **कक्षा बालवाटिका-2, बालवाटिका-3 और कक्षा-1 में प्रवेश के लिए :** जन्मतिथि प्रमाण पत्र (जो नगर निगम द्वारा जारी हो/कुटुंब रजिस्टर की सत्यापित छाया प्रति) की मूल प्रति व आधार जिसमें अभ्यर्थी का नाम अंकित हो, एवं अभ्यर्थी व उनके माता/पिता/अभिभावक द्वारा प्रमाणित छाया प्रति प्रवेश के दौरान प्रस्तुत करना अनिवार्य हैं। प्रमाणपत्र न होने पर प्रवेश रद्द कर दिया जाएगा।

2. **कक्षा 6 में प्रवेश के लिए :** कक्षा पाँच के अंकपत्र/स्थानांतरण प्रमाण पत्र में जन्मतिथि का उल्लेख होना चाहिए। साथ ही अभ्यर्थी व उसके माता या पिता के आधार की स्व प्रमाणित छाया प्रति प्रवेश के दौरान प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

3. 3% सीटें दिव्यांग वर्ग [अस्थि-बाधित/OH के अभ्यर्थियों जिनमें दिव्यगता का स्तर (40% से ज्यादा)] के लिए क्षैतिज रूप से आरक्षित हैं.

शारीरिक रूप से अक्षम अभ्यर्थी (अस्थि-बाधित) (OH) को अपने ज़िले के सिविल सर्जन अथवा मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी किए गए 'दिव्यांगता प्रमाणपत्र' की मूलप्रति एवं सत्यापित प्रति प्रस्तुत करने पर अस्थायी रूप से प्रवेश दिया जाएगा।

इस वर्ग के अभ्यर्थियों को काशी हिन्दू विश्वविद्यालय द्वारा गठित मेडिकल बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत होना होगा जहाँ इनकी दिव्यांगता का सत्यापन/अनुमोदन होने के पश्चात ही इनका प्रवेश सुनिश्चित माना जाएगा।

कर्मचारी वर्ग के लिए आरक्षित सीटें निम्न कर्मचारियों के पुत्र/पुत्रियों के लिए होंगी:

(i) काशी हिन्दू विश्वविद्यालय के स्थायी कर्मचारी (प्रोबेशन सहित) जो वर्तमान सत्र में सेवा में हैं या ई-लॉटरी होने के पहले वर्ष में सेवा में रहे हैं।

(ii) डेपुटेशन पर कर्मचारी

- (iii) विश्वविद्यालय के संविदा/दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी/आउटसोर्सिंग कर्मचारी जिन्होंने एडमिशन फार्म भरने की अंतिम तिथि तक दो वर्ष की सेवा पूरी की हो। इसके लिए उनकी सेवा में आवश्यक ब्रेक को अयोग्यता नहीं माना जाएगा।

नोट:

- (A) का.हि.वि.वि के स्थायी/डेपुटेशन के पुत्र/पुत्रियों को तो एल.टी.सी सेल/उपयुक्त प्राधिकारी द्वारा जारी कर्मचारी प्रमाणपत्र जिसमें अभ्यर्थी का नाम हो, प्रवेश/नामांकन के समय लाना अनिवार्य हैं।
- (B) का.हि.वि.वि के संविदा/दैनिक वेतनभोगी/आउटसोर्सिंग कर्मचारी के पुत्र पुत्रियों को संबंधित विभाग के विभागाध्यक्ष द्वारा जारी कर्मचारी प्रमाणपत्र जिसमें अभ्यर्थी का नाम हो, प्रवेश/नामांकन के समय लाना अनिवार्य हैं। प्रवेश के समय संविदा/दैनिक वेतनभोगी/आउटसोर्सिंग कर्मचारी विभाग में कार्यरत होना चाहिए।

* काशी हिन्दू विश्वविद्यालय में रिसर्च प्रोजेक्ट में कार्यरत कर्मचारियों के पुत्र/पुत्री को विश्वविद्यालय कर्मचारी कोटे में प्रवेश हेतु विचार नहीं किया जायेगा।

- कर्मचारी वर्ग की आरक्षित सीटों पर काशी हिन्दू विश्वविद्यालय के स्थायी कर्मचारी के पुत्र/पुत्री के प्रवेश के बाद बची हुई सीटों पर डेपुटेशन पर कर्मचारी के पुत्र /पुत्री को प्रवेश दिया जाएगा
- संविदा/दैनिक वेतनभोगी/आउट सोर्सिंग कर्मचारी के पुत्र/पुत्रियों को प्रवेश स्थायी कर्मचारी के पुत्र/पुत्री के प्रवेश के बाद बची हुई सीटों पर दिया जाएगा।
- कर्मचारी वर्ग की आरक्षित सीटों का लाभ IIT-BHU के उन कर्मचारी के पुत्र/पुत्रियों को भी दिया जाएगा जो मई 2012 के पहले से सेवा में हैं। उन्हें इसके लिए IIT-BHU के कुलसचिव के कार्यालय का प्रमाणपत्र देना होगा।
- कर्मचारी वार्ड उम्मीदवार का प्रवेश प्रकृति में पूरी तरह से अनंतिम है। उनके कर्मचारी वार्ड प्रमाण पत्र के सत्यापन के बाद ही प्रवेश को स्थायी माना जाएगा। LTC सेल (स्थायी कर्मचारी के लिए) ED सेल (स्थायी के अलावा अन्य कर्मचारियों के लिए)।
- BHU कर्मचारी वर्ग के लिए आरक्षित सीटों पर कर्मचारी वर्ग के अभ्यर्थी न होने की स्थिति में शेष सीटें वाह्य अभ्यर्थियों को कैटेगरी के अनुसार स्थानांतरित कर दी जाएंगी।

(C) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग-नॉन क्रीमी लेयर/आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग (EWS) के अभ्यर्थियों को उनके प्रमाण पत्र की मूल प्रति एवं स्वप्रमाणित छाया प्रति प्रवेश के समय प्रस्तुत करना अनिवार्य है। प्रमाणपत्र जारी करने के लिए सक्षम अधिकारी अधोलिखित हैं:

अ) जिलाधिकारी/अतिरिक्त जिलाधिकारी/कलेक्टर/उपायुक्त/अतिरिक्त उपायुक्त/डिप्टी कलेक्टर/प्रथम श्रेणी स्टाइपेंडरी मजिस्ट्रेट/सिटी मजिस्ट्रेट/सब डिवीजनल मजिस्ट्रेट/तालुका मजिस्ट्रेट/इक्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट/इक्स्ट्रा असिस्टेंट कमिश्नर।

ब) चीफ प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट/एडिशनल चीफ प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट/प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट।

स) राजस्व अधिकारी जो तहसीलदार पद से नीचे का न हो ।

द) उस क्षेत्र का प्रखण्ड अधिकारी (सब डिविजनल ऑफिसर) जहाँ पर अभ्यर्थी अथवा उसका परिवार सामान्यतया निवास करता है। राजस्व अधिकारी जो तहसीलदार पद से नीचे का न हो/ प्रशासक/प्रशासक सचिव/विकास अधिकारी (लक्षद्वीप समूह)।

नोट: अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग-नॉन क्रीमी लेयर/आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग (EWS) के उपरोक्त अधिकारियों द्वारा जारी किये प्रमाणपत्र मान्य होंगे। अन्य पिछड़ा वर्ग-नॉन क्रीमी लेयर/आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग (EWS) के प्रमाणपत्र 1 अप्रैल 2025 से पुराने नहीं होने चाहिए।



X. आवेदन पत्र

विश्वविद्यालय ने इसके लिए www.bhuonline.in डोमेन नाम से प्रवेश परीक्षा पोर्टल तैयार किया है। इसका लिंक बी०एच०यू० की वेबसाइट (www.bhu.ac.in) पर भी उपलब्ध है। शैक्षणिक सत्र 2026-27 के दौरान विभिन्न पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु आवेदन करने की सम्पूर्ण प्रक्रिया ऑनलाइन बनाई गई है। तदनुसार, अभ्यर्थी ध्यान दें कि स्कूल एडमिशन (बालवाटिका-2, बालवाटिका-3, कक्षा 1 एवं कक्षा 6) 2026 आवेदन पत्र का विक्रय नहीं किया जाएगा (क्योंकि ऑफलाइन मोड नहीं होगा) और प्रवेश लेने के इच्छुक अभ्यर्थियों को काशी हिन्दू विश्वविद्यालय के प्रवेश परीक्षा पोर्टल पर नामांकन करना आवश्यक होगा तथा पोर्टल पर दी गई प्रक्रिया के अनुसार आवेदन-पत्र ऑनलाइन भरना होगा। विस्तृत जानकारी हेतु काशी हिन्दू विश्वविद्यालय का प्रवेश परीक्षा पोर्टल (www.bhuonline.in) देखें या www.bhu.ac.in देखें।

नोट-अभ्यर्थी आवेदन पत्र भरने के पूर्व भलीभाँति सुनिश्चित कर लें कि वे आवेदन पत्र में वांछित सभी अर्हताओं को पूर्ण करते हैं। प्रवेश/काउन्सलिंग के समय मूल प्रमाण पत्रों से उनके द्वारा आवेदन पत्र में दी गई सूचनाओं का सत्यापन किया जायेगा। जब तक वे अपेक्षित अर्हता शर्तें पूरी नहीं कर लेते, तब तक वे प्रवेश के लिए पात्र नहीं माने जायेंगे।

XI. आवेदन शुल्क

अभ्यर्थी को निम्नलिखित आवेदन पत्र प्रोसेसिंग शुल्क का भुगतान करना होगा:
बालवाटिका-2, बालवाटिका-3, कक्षा 1 एवं कक्षा 6 के लिए -

1. अनु0 जा0 /अनु0 जन0 जा0 : Rs. 500.00
2. सामान्य/आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS), अन्य पिछड़ा वर्ग/दिव्यांग/का. हि. वि. वि. कर्मचारी वर्ग : Rs. 750.00

अभ्यर्थी को आवेदन पत्र केवल ऑनलाइन भरना है, क्योंकि मुद्रित सूचना पुस्तिका व आवेदन पत्र विश्वविद्यालय द्वारा विक्रय नहीं किये जायेंगे। ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने के बाद अभ्यर्थी को आवेदन पत्र प्रोसेसिंग शुल्क के भुगतान के लिए निम्नलिखित विकल्प उपलब्ध हैं।

क्रेडिट/डेबिट कार्ड के माध्यम से ऑनलाइन भुगतान प्रवेश परीक्षा पोर्टल पर पेमेंट गेटवे द्वारा उपलब्ध है।

नोट-

- 1) एससी/एसटी अभ्यर्थियों हेतु रियायती दर पर आवेदन पत्र प्रोसेसिंग शुल्क सहित एक बार प्रस्तुत किये गये आवेदन पत्र एससी/एसटी श्रेणी के अंतर्गत ही विचार किये जायेंगे।
- 2) आवेदन पत्र प्रोसेसिंग शुल्क किसी भी स्थिति में न तो वापस किया जायेगा और न ही दूसरे पाठ्यक्रम हेतु अंतरित किया जायेगा तथा आगामी वर्षों के लिए आरक्षित भी नहीं होंगे।
- 3) काउन्सलिंग के लिए किसी भी अभ्यर्थी को अलग से बुलावा पत्र नहीं भेजा जाएगा। लाटरी मेरिट लिस्ट BHU के प्रवेश परीक्षा पोर्टल www.bhuonline.in पर प्रदर्शित किया जाएगा। अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे अपना/अपनी मेरिट देखकर काउंसलिंग के समय निम्नलिखित आवश्यक प्रपत्रों के साथ विद्यालय में निर्धारित तिथि एवं समय पर उपस्थित रहें।

- विद्यालय में प्रवेश हेतु भरे गए आवेदन पत्र की कापी
- जन्म प्रमाण पत्र (बाल वाटिका-2, बाल वाटिका-3 & कक्षा 1 के लिए) [अभ्यर्थी का नाम अंकित होना चाहिए]
- जाति प्रमाण पत्र [अभ्यर्थी का नाम अंकित होना चाहिए]
- कर्मचारी वर्ग प्रमाण पत्र
- आधार कार्ड
- कक्षा 5 का मूल अंकपत्र
- चरित्र प्रमाण पत्र (कक्षा 6 के लिए)
- विद्यालय स्थानांतरण प्रमाण पत्र (कक्षा 6 के लिए)

- 4) जिन विद्यार्थियों को स्कूल में प्रवेश मिलता है, उन्हें प्रवेश की तारीख पर PEN (Permanent Education Number) प्रदान करना होता है जो पिछले स्कूल के U-DISE पोर्टल द्वारा जारी किया जाता है।

नोट:- भ्रम की स्थिति में अंग्रेजी अनुवाद सत्य माना जाएगा।

